

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट खिनानियां )

1. विनोद कुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।  
-वादी

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र श्रीपाल जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
2. उर्मिला पत्नी जयप्रकाश पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी केहरवाला तह.टिब्बी।
3. निर्मला पत्नी दौलतराम पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी सरदापुरा खालसा तहसील रावतसर।

मुकदमा नम्बर:-285/2018  
अन्तर्गत धारा:-88 आरटीए  
निर्णय दिनांक:-29.6.2018

-प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री सुभाष चन्द्र गर्ग एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-प्रतिवादी संख्या 1 बृजलाल के नाम से चक नं. 1 ए बरानी के खाता संख्या 25/76 में कुल 13.523 है. में से 2.18 हिस्सा में से प्रतिवादी बृजलाल का 1/3 हिस्सा व इसी चक के खाता संख्या 214/216 में कुल 2.277 है.में से 1/4 हिस्सा आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त खातों में से नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक राजीनामा वादी के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। बैंक न्रदण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 29.6.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत खिनानियां में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी



वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वादपत्र के लिए स्टाम्प	1000/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	1000/-	जोड़	0